


तारीख हुक्म	मुं० नं० 322/08 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
16-5-18	<p> प्रभावली पेरा 35) वकील पद्मकारान उपर। प्रभावली का अवलोकन किया गया। पता गया कि वादीगण ने यह कस दिनांक 02-7-2008 को विरुद्ध परिवारीगण पेरा किया गया। वादीगण को वाड प्रस्तुत सिद्धि से परिवारीगण नव-4 की नामील हेतु न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की गई है। वाकि परिवारीगण नव-4 की नामील हेतु लगभग 64 अयसर न्यायद्वित से दिखजे पन्तु आदेशों की अनदेखी कर परिवार की नामील पेरा नहीं की गई किसी भी पद्मकार को न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करनी अनुमति पद्मकार को नहीं है। अतः वकील वादीगण आदेशों की पालना नहीं किये जाने के कारण वाड - वादीगण अदम तक मिल रखरिज किया जाता है। प्रभावली केसल मुम्बर होकर दर्ज नम्बर से काम है। एक वाड तकमील जाता दाखिल दाखल है। </p> <p style="text-align: center;">  उपलब्ध अधिकारी मुम्बर (राज.) </p>